न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 207/2017/223 आर टी ए

विमलादेवी (पुत्री स्व. जीतराम) पत्नि प्रताप जाति जाट निवासी डाबडा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

––अपीलांट

बनाम

1. रोहिताश पुत्र स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मांगीलाल पुत्र स्व. कुलदीप जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. शेराराम पुत्र स्व. जीतराम पुत्र स्व. चुन्नीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अजयसिंह पुत्र स्व. जीतराम पुत्र स्व. चुन्नीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. भालाराम पुत्र स्व. जीतराम पुत्र स्व. चुन्नीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. धर्मपाल पुत्र स्व. जीतराम पुत्र स्व. चुन्नीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––रेस्पोडेंटस/वादी सं. 1 ता 6

7. भगवन्ती देवी पत्नि स्व. कुलदीप पुत्र स्व. जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. सुमन पुत्री स्व. कुलदीप पुत्र स्व. जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. बाधो पुत्री स्व. कुलदीप पुत्र स्व. जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. मथरो पुत्री स्व. कुलदीप पुत्र स्व. जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. मटरो पुत्री स्व. कुलदीप पुत्र स्व. जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. कमलादेवी पत्नि स्व. इन्द्राज पुत्र स्व. जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. धापी पुत्री स्व. इन्द्राज पुत्र स्व. जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. विद्यादेवी (पुत्री स्व. जीतराम) पत्नि दीवानसिंह जाति जाट निवासी डाबडा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
15. रूकमादेवी (पुत्री स्व. जीतराम) पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
16. धोला (पुत्री स्व. जीतराम) पत्नि देवीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
17. मीरा (पुत्री स्व. जीतराम) पत्नि कृष्ण जाति जाट निवासी माकसरानी भट्टू के नजदीक तहसील चौपटा जिला सिरसा हरियाणा। –– रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्र0सं0 193/2010 अनवानी रोहिताश बनाम जीतराम आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

निर्णय दिनांकः–22.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 जीतराम के नाम चक 2 आरपी (सीएडी रहित) के खाता सं. 12/10 मे 3.289 है0 अनकमाण्ड व चक 12 डीबीएल के खाता सं. 21/14 मे कुल 7.190 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व खाता सं. 84/73 मे 1.165 है0 अनकमाण्ड व चक 6 आरपी के खाता सं. 12/20 मे कुल 2.024 है0 कमाण्ड व प्रतिवादिया सं. 2 रज्जोदेवी के नाम चक 4 आरपी के खाता सं. 2/2 मे 94 हिस्सा कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमे वादीगण का हक व हिस्सा है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा के आधार पर दावा स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत व विधि विरूद्ध व न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत है। रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते समय अपीलांट व अपीलांट की बहिने यानि जीतराम की पुत्रियों को पक्षकार नही बनाया और ना ही उनके संबंध मे कथन किये व अधूरी वंशावली प्रस्तुत करते हुए न्यायालय से वास्तविक तथ्य छुपाकर अपीलाधीन डिक्री हासिल की है। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि थी जिसमे अपीलांट व अपीलांट की बहिनो का भी हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 मे हुये संशोधन के अनुसार स्व. जीतराम व माता रज्जोदेवी के नाम दर्ज भूमि मे बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा था। रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने प्रतिवादीगण के साथ दुरभिसंधि कर तथा सही तथ्य न्यायालय से छुपाते हुये और मिलीभगत कर वादपत्र मे घराघरूबंटवारा होने व सहमति होने का कथन कर समस्त पैतृक कृषि भूमि का बेईमानीपूर्वक व कपटपूर्ण व अपीलांट व स्व. जीतराम की अन्य पुत्रियों का बतौर सहदायिक पैतृक सम्पति मे हक व हिस्सा होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा दर्शाकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कथित राजीनामा दिनांक 15.07.10 को प्रस्तुत हुआ उक्त कथित राजीनामा भी पूर्ण रूप से न तो तस्दीक है और न ही कथित राजीनामा की दिनांक को न्यायालय की पत्रावली पर उपस्थिति के हस्ताक्षर दर्ज है।

इसलिए कथित राजीनामा संदेहस्पद है। कथित राजीनामा आदेश 23नियम 3 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वैद्य राजीनामा नही है। वादीगण ने उक्त वादपत्र मे समस्त हिबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया तथा ना ही तहसीलदार टिब्बी को पक्षकार बनाया गया। रेस्पो0 सं. 1 ता 6 का वादपत्र न तो विधिक रूप से साबित था और ना ही कानूनन अपीलांट की माता रज्जोदेवी के नाम दर्ज भूमि 94 हिस्सा से नाम कलमजन करने के जो आदेश दिये है, वह विधिमान्य नही है क्योंकि अचल सम्पति मे न तो अपीलांट की माता रज्जोदेवी ने हक त्याग किया है और न ही कथित रूप से राजीनामा के आधार पर किसी खातेदार कृषक के हक व हित समाप्त हो सकते है व ना ही किसी दूसरे खातेदार काश्तकार को अन्तरित हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नही थी, इस कारण इस निर्णय व डिक्री का अपीलांट को कोई ज्ञान नही हो सका। अपीलांट के पिता स्व. जीतराम पुत्र चुन्नीराम का लगभग 8 माह पूर्ण देहान्त होने व अपीलांट की माता की स्व. रज्जोदेवी का लगभग 6 माह पूर्व देहान्त होने के बाद अपीलांट ने अपने पिता व माता की कृषि भूमि मे अपने हिस्सा अनुसार इंतकाल की कार्यवाही करने हेतु दिनांक 13.06.17 को प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेख की नकले प्राप्त की तो मालूम हुआ कि अपीलांट के माता पिता की भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज है। इसलिए ज्ञान के दिवस से अपील अन्दर मियाद है फिर भी अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षित रखते हुये पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पूर्वज जीतराम व रज्जोदेवी के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे अपनी हको का घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे जीतराम व रज्जोदेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 ता 6 का वादपत्र राजीनामा के आधार पर विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो सही है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट का कोई हक व हिस्सा नही है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता जीतराम के नाम दर्ज है जिसमे अपीलांट न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही अपीलांट से किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहा गया है। इसलिए अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज होने से खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ

न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता जीतराम व माता रज्जोदेवी के नाम दर्ज थी तथा रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जीतराम व रज्जोदेवी के संबंध मे वाद प्रस्तुत कर घोषणा अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अपीलांट जो कि जीतराम व रज्जोदेवी की पुत्री है, को पक्षकार बनाये बिना ही घोषणा की डिक्री पारित करवाई है। जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमे अपीलांट का हक हिस्सा निहित था तथा दावा मे आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार बनाये जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर घोषणा के वाद का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे पक्षकार नही बनाया गया जिससे अपीलांटा को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हो सका ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलांटा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं स्व. जीतराम व रज्जोदेवी के अन्य वारिसान को प्रकरण मे पक्षकार के रूप से संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत रूप पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ